भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 313

(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर के लिए)

राजस्थान लोक सेवा आयोग से सदस्य को हटाया जाना

313. डॉ. मन्ना लाल रावत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का संवैधानिक अधिकार केन्द्र सरकार के पास है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में किन्हीं सदस्यों को हटाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो निरर्हता सहित मामले का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।

(ख) एवं (ग) : लोक सेवा आयोग में सदस्यों को हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर, अनुच्छेद 317(1) और 317(3) में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में, सितम्बर, 2023 में राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में कार्रवाई की जा चुकी है।

******